भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *316

10.08.2026 को उत्तर के लिए

मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की संख्या

*316 **श्री माथेश्वरन वी. एस.:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में वर्तमान में अनुमानतः कितने बाघ हैं;

(ख) सरकार द्वारा बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2014 से नीलगिरी जिले में मानव-हाथी संघर्ष के कारण कुल कितने लोग मारे गए हैं और इस संबंध में कितना मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) :- विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की संख्या' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए श्री माथेश्वरन वी. एस. द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. *316 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) वर्ष 2022 में किए गए विगत अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार, मुदुमलाई बाघ रिजर्व में विशिष्ट बाघों की संख्या 114 है।

(ख) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावास संरक्षण, अवसंरचना विकास, शिकार-रोधी अभियान, बाघ संरक्षण बलों (टीपीएफ/एसटीपीएफ) की तैनाती के लिए वर्तमान में चल रही 'वन्यजीव पर्यावासों की एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच)' की केंद्रीय प्रायोजित योजना की बाघ घटक 'परियोजना' के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; कड़ी सतर्कता एवं निगरानी, आसूचना जुटाना, तकनीकी उपाय, पारि-विकास संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी, कैमरा ट्रैप आदि जैसे उपकरणों के माध्यम से निगरानी करना; सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना, गश्त तथा पारिस्थितिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने वाले एप्लिकेशन जैसे एम-स्ट्राइप्स (बाघों के गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति की निगरानी प्रणाली) के उपयोग के अलावा सुरक्षा ऑडिट करना जैसे उपाय शामिल हैं। इन सभी कदमों के परिणामस्वरूप बाघों, उनके शिकार और उनके पर्यावास की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण होता है, जिससे अंततः उनकी संख्या में वृद्धि होती है।

(ग) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नीलगिरि जिले में मानव-हाथी संघर्ष के कारण मारे गए लोगों की संख्या और दिए गए मुआवजे का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	हाथियों के कारण के कारण मारे गए लोगों की संख्या	भुगतान की गई राशि (लाख रुपए में)
1	2014	5	15.00
2	2015	11	33.00
3	2016	12	38.00
4	2017	4	16.00
5	2018	13	52.00
6	2019	11	44.00
7	2020	10	40.00
8	2021	7	28.00
9	2022	10	50.00
10	2023	10	55.00
11	2024	4	40.00
12	2025	14	140.00
13	2026 (जुलाई, 2026 तक)	13	110.00
